सीटू मजदूर

श्रम संहिताओं का देशव्यापी विरोध और दहन

बीटीआर भवन राऊज एवेन्यू नई दिल्ली में सीटू केंद्र के समक्ष सीटू के अखिल भारतीय नेतृत्व द्वारा श्रम संहिता को जलाना।

किसान आन्दोलन के साथ एकजुटता में सीटू

सीटू राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमलता और सचिव ए आर सिंधु के साथ 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहिये पर (प्रतीकात्मक रूप से) तपन सेन, सीटू एकजुटता व्यक्त करने के लिए।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा परमाणु बिजली संयंत्र की सीटू से संबद्ध यूनियन के नेता दिल्ली के शाहजहाँपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ एकजुटता में।

10 जनवरी को, किसान आंदोलन के समर्थन में, पश्चिम बंगाल में कुल्टी में कोलकाता – दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की नाकाबंदी

सम्पादकीय

सीटू मजदूर
सीआईटीयू का मुखपत्र
फरवरी 2021

सम्पादक मण्डल

सम्पादक
के. हेमलता

कार्यकारी सम्पादक
जे.एस. मजुमदार

सदस्य
तपन सेन,
एम.एल. मलकोटिया,
कश्मीर सिंह ठाकुर,
पुष्पेन्द्र त्यागी,
एच.एस. राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

fctyh deepkfj;ksa&bUthfu;jksa dh gMrky 4
etnwjksa dh ,dtqV dkjZokbZ nwljk ekSdk [kksyk & d- geyrk 5
cjkstxkjh ij jk"Vªh; dUosZ'ku 7
7&8 tuojh dk etnwjksa dk n'kZ0;kih vkUnksyu 9
egkjk"Vª esa fdlkuksa dh cMh dkjZokbZ & v'kksd <koys 17
dUæh; ljdkj ds ctV ij lhVw 20
vkfFkZd lo{k.k 2020&21 &cqnk djkr 22
fxjrs lkekftd lqjD{kk &f=ukFk Mkjk 25

इतिहास बनने को है; जुड़ जायें

iqrqZxky }kjk vf/kdre equkQk cVksjus ds fy,(dkjikjksZa }kjk —f"k] m|ksx vkSj lsokvksa esa lHkh mRiknd xfrfof/k;ksa ds vf/kxzg.k ds fy, vkSj ,d&Hkkjr cktkj dh LFkkiuk(vkSj vkj,l,l dh pkgr okys fgrksa ds uqrRo okys ^v[kM Hkkjr* ds fy, & vUrjk"Vªh; foÙkh; iqrqZxky ¼vkbZ,Qlh½] nq'kh&fonq'kh dkjikjksZa] vkj,l,l&Hkktik ds uqrRo okyh ljdkj ,oa 'kfDr;ksa rhuksa us feyhHkxr djdsa] dkfoM ^U;w bfM;k* ds fy, ,d fuf'pr ,tsaMk r; fd;k gS A

rhu Ñf"k dkuwu(pkj ycj dksM(jksyos vkSj Åtk {ks= lfgr futhdj.k(,ubZih(tEew vkSj d'ehj dks /oLr djuk(lÙkk dk dsæh;dj.k vkSj lq?kokn dks [kRe djuk(th,lVh(v;k/;k fu.ks; vkSj Á/kkuea=h }kjk efnjk dk f'kykU;kl vkSj jk"Vªifr }kjk QwM nuk(vUrj&fo'okl ds chp fookg ds f[kykQ dkuwu(ykdrkf=d lLFkkvksa dk fo?kVu vkSj ykdrkf=d LFkku dk fldqMuk(tu vkUnksyu vkSj vUrk"k dk neu(lkçnkf;d vkSj foHkktudkjh rkdrksa dh lfØ;rk vkSj ;qokvksa dh yEiVrk(ehfM;k ij eqdEeey fu;a=.k vkSj Lora= i=dkjksa dk ty Hkstuk(QklhoknZ rjhdksa ls ifyl jkT; dh #ijs[kk(turk dk 'kks"k.k vkSj mudh thou vkSj vkthfodk ij gey vkfn lHkh dqN ,d ,dh—r eqdEeey ikdsr esa gSA

tSlk fd etnwjksa] fdlkuksa] ukstokuksa] efgykvksa vkSj lkekftd :i ls gkf'k, ds ykxksa vkSj vU; egurd'k rcdksa vkfn lHkh lkekftd mRiknd 'kfDr;ksa ds f[kykQ gS] Lora= Hkkjr esa Lora= vkSj lq;ä dkjZokfg;ksa esa ,Sls rhoZrk igys dHkh ugha nsf[kh xbZA

bfrgkl cuus dks gSA ge bldk fgLlk cuuk gSa pkfg,A

3 फरवरी 2021

मोदी सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ

बिजली कर्मचारियों–इंजीनियरों की अखिल भारतीय हड़ताल

द नेशनल कॉर्डीनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्पलॉईस एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओइइइ), के आह्वान पर बिजली कर्मचारी उत्पादन, वितरण, प्रसारण, आदि सभी अनुभागों, में 3 फरवरी 2021 को एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल पर थे।

यह हड़ताल 26 नवंबर से तीन कृषि कानूनों और बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की माँग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर और पूरे देश में अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल किसानों की माँगों और संघर्ष के साथ बिजली कर्मचारियों की एकजुटता की कार्रवाई थी।

यह हड़ताल देश की गरीब जनता के बिजली के अधिकार पर अंकुश लगाने की दिशा में भारत सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ भी थी। रखी गई माँगें इस प्रकार हैं:

हड़ताल 6 सूत्रीय माँगों के लिए थी–

1. बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 और बिजली के वितरण के सम्पूर्ण निजीकरण के लिए मानक बोली दस्तावेज रद्द करो;
2. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र से निजी कम्पनी तक बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया को वापस लेना; बिजली क्षेत्र में सभी मौजूदा निजी लाइसेंस और फ्रेंचाइजी रद्द करो;
3. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सभी बिजली उपयोगिताओं के उत्पादन, प्रसारण और वितरण के कार्यान्वित विभागों के साथ केएसईबी लिमिटेड व एचपीएसईबी लिमिटेड की तरह पुनःएकीकरण;
4. पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करें और नई पेंशन योजना को रद्द करो; बिजली क्षेत्र में जबरन सेवानिवृत्ति अस्वीकार्य है;
5. समान काम के लिए समान वेतन व सभी ठेका और आकस्मिक मजदूरों/कर्मचारियों के लंबित नियमितीकरण को सुनिश्चित किया जाये; निश्चित अवधि का रोजगार बिजली क्षेत्र में अस्वीकार्य है;
6. सभी मौजूदा रिक्तियों को नियमित कर्मचारियों द्वारा केवल नियमित नौकरियों की नीति के साथ भरें।

देश भर में बिजली के सभी क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन सदस्यों ने हड़ताल में भाग लिया। उनकी भागीदारी 100% से 25% तक विविध थी। केरल और चंडीगढ़ में 100% हड़ताल थी; तमिलनाडु और हरियाणा में हड़ताल में 80% भागीदारी थी; पश्चिम बंगाल में 70%, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और असम में हड़ताल 60%–50% थी। बिजली क्षेत्र के इंजीनियर्स ने भारी संख्या में कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन में भाग लिया। कुछ राज्यों में, दिन भर धरना प्रदर्शन जारी रहा।

हड़ताली बिजली कर्मचारियों को जोशपूर्ण बधाई देते हुए, इलेक्ट्रीसिटी एम्पलाईज फेडरेशन ऑफ इण्डिया (ईईएफआई) ने बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट व्यापक मंच बनाने का आह्वान किया।

इस सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने सरकार को अपने चहेते पूँजीपतियों का मुनाफा कराते हुए जनता पर राजकोषीय बोझ डालने की अपनी जनविरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को छोड़ने का संदेश भेजा है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को रखे गए बजट 2021–2022 में बिजली क्षेत्र के लिए निधि के आवंटन की उसी नीति की फिर से पुष्टि की गई है, जबकि सरकार निजीकरण की अपनी नीति पर आगे बढ़ रही है।

3 फरवरी, 2021 को एक बयान में, सीटू ने 3 फरवरी, 2021 के दिन की इस व्यापक देशव्यापी हड़ताल कार्रवाई के लिए विद्युत कर्मचारियों को बधाई दी।

किसान संघर्ष के साथ मजदूरों की एकजुटता कार्रवाहियां; दूसरा मोर्चा खोला

हेमलता

ऐसा प्रतीत होता है कि मोदीनीत भाजपा सरकार ने हमारे देश की मेहनतकश जनता के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ दिया है। यह भावना एक तरफ दिल्ली में सरकार द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शनों को दबाने के तरीके से प्रबल होती है और इसके बजट 2021–22 के माध्यम से आम जनता की आजीविका, आजीविका और परिस्थितियों पर लगातार घातक हमलों के रुप में जारी है।

भाजपा सरकार और उसके संरक्षक, आरएसएस के द्वारा बदनाम करने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी, क्रूर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, जबरदस्त समर्थन और एकजुटता के कारण विस्तारित हो रहा है। उन्होंने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के अवसर पर कुछ विघटनकारी ताकतों की सेवाओं का उपयोग अपने उत्तेजक एजेंट के रूप में काम करने के लिए भी किया है।

गणतंत्र दिवस पर अभूतपूर्व किसान परेड वास्तव में जनता की परेड बन गई। करोड़ों लोगों ने, न केवल किसानों ने, बल्कि खेत मजदूरों, मजदूरों और समाज के अन्य सभी तबकों ने गर्व के साथ भाग लिया। यह राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित नहीं था। देश भर के 20 से अधिक राज्यों में सैकड़ों जिलों में किसान परेड देखी गई। लाखों किसानों और हजारों ट्रैक्टरों ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्धरित मार्ग में एक अनुशासित तरीके से शांतिपूर्वक परेड की।

यह संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व वाले किसानों के एकजुट आंदोलन का श्रेय है कि उन्होंने न केवल इन विघटनकारी ताकतों की गतिविधियों की निंदा की है बल्कि यह भी घोषणा की है कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में पुलिस की विफलता के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, भाजपा सरकार ने अब किसानों पर क्रूर दमन का सहारा लिया है। इसने न केवल पानी और बिजली में कटौती की है और विरोध स्थलों पर इंटरनेट बंद कर दिया है; बल्कि इसने किसानों को स्वच्छता सेवाओं और शौचालयों तक पहुंच के लिए रोका है; इसने बैरिकेड्स की पाँच परतें भी खड़ी कर दी हैं, सड़कों पर नुकीली कीलों की कतारें लगा दी हैं, और कांटेदार तारों की बाड़ लगा दी है, मानो यह सीमाओं पर दुश्मन का सामना कर रहे हों। इसने सैकड़ों किसानों और उनके नेताओं पर मुकदमें दर्ज किये हैं। पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।

लेकिन, भाजपा सरकार इसका निराकरण करने और विरोध प्रदर्शन को विफल करने के अब तक के अपने सभी प्रयासों में पूरी तरह से असफल रही है। बल्कि, 26 जनवरी के बाद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या बढ़ गई है। हजारों की तादाद में किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि से धरना–प्रदर्शन स्थलों पर पहुँच रहे हैं, लेकिन बड़े–बड़े कारपोरेटों के हितों और सेवा के लिए अपने नवउदारवादी एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध सरकार किसानों की वास्तविक माँगों को मानने से इनकार कर रही है। 26 जनवरी के बाद से, 'गोदी मीडिया' ने तुरंत किसानों को 'देश विरोधी' करार देकर सरकार की सेवा में कूद गया है; कॉरपोरेट मुखपत्रों ने यह कहते हुए अपनी चिल्लाहट बढ़ा दी कि किसानों के दबाव में अधिक झुकना नहीं चाहिए।

शुरू से ही जब किसानों के संयुक्त मंच ने तीन अध्यादेशों के खिलाफ विरोध शुरू किया, मजदूर वर्ग का आंदोलन लगातार किसानों के साथ एकजुटता में खड़ा है। यह बीजेपी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने संघर्ष को मजदूरों के कोड और निजीकरण के साथ किसान विरोधी कृषि अध्यादेशों व कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है।

संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन ने 26 नवंबर की देशव्यापी आम हड़ताल की माँगों के चार्टर में अपनी माँगों के साथ तीन कृषि कानूनों को समाप्त करने की माँग को न केवल उठाया है बल्कि इसने मजदूरों से सभी स्तरों पर समय–समय पर संयुक्त किसान आंदोलन द्वारा किये गये आह्वानों को सक्रिय रूप से समर्थन करने का भी आह्वान किया है। जिलों, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर हजारों किसान संयुक्त किसान मंच के सभी आह्वानों में भाग लेते रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से आँगनवाड़ी कर्मियों, आशाओं, मनरेगा

मजदूरों आदि जैसे महिला मजदूरों सहित हजारों कार्यकर्ता पिछले दो महीनों के दौरान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, उन्हें रसद, चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने आदि में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा, आँगनवाड़ीकर्मी प्रदर्शनकारियों के लिए जनता से राशन, गर्म कपड़े आदि जुटाने में भी मदद करती रही हैं। पूरे देश में जिला स्तरीय परेड में हजारों मजदूर भी परेड में शामिल हुए हैं। मजदूर वर्ग ने आर्थिक रूप से भी किसानों का समर्थन किया है। सीटू के आह्वान पर मजदूर वर्ग ने कथित तौर पर किसानों के संघर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक का योगदान दिया है।

विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि कृषि कानून, श्रम संहिता और निजीकरण अभियान के रूप में, चौतरफा विरोध के बावजूद वित्त मंत्री के बजट भाषण में दोहराया जाता है, जो नवउदारवादी नीतियों का हिस्सा हैं। भाजपा सरकार की इस आज्ञाकारिता और बड़े देशी–विदेशी कॉरपोरेट्स के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए, कॉरपोरेट हितों की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता के मद्देनजर, जनता के लिए कोई भी राहत इसकी नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज करके ही हासिल की जा सकती है। जनता के सभी तबकों को अपनी स्वयं की तात्कालिक माँगों पर संघर्ष में जुटना चाहिए ताकि उन्हें नवउदारवादी नीतियों से जोड़ा जा सके और एक दूसरे के संघर्षों के साथ एकजुटता भी दिखाई दे।

यह इस समझ के साथ है कि सीटू ने मजदूरों के संघर्षों का दूसरा मोर्चा खोलने का फैसला किया। इसने श्रम संहिता को समाप्त करने, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने, नकदी हस्तांतरण के अलावा सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन इत्यादि सहित दस सूत्रीय माँगपत्र तैयार किया है। अभियान के लिए तीन कृषि कानूनों का निरस्तीकरण प्रमुख माँगों में से एक के रूप में शामिल है। सीटू ने एक कार्यक्रम तय किया है जिसमें कार्य स्थल प्रदर्शनों, जिला स्तर पर गिरफ्तारियां सहित भारी लामबन्दियों में अधिकतम मजदूरों को शामिल होना है और सभी राज्यों के अंदर क्षेत्रीय जत्थों को गांव और ब्लॉक स्तर तक ले जाकर उन्हें सरकार की इन विनाशकारी नीतियों के बारे में समझाना है। इसने मजदूरों के जमीनी स्तर के संघर्ष और जहाँ कहीं भी संभव हो मजदूरों और किसानों के साझा मुद्दों पर संघर्षों को विकसित करने का निर्णय लिया है।

दूसरे मोर्चे के खुलने का क्या मतलब है? यह केवल किसानों के संघर्षों के साथ एकजुटता भर नहीं है। इसका मतलब यह है कि पहले से ही किसान कृषि कानूनों के खिलाफ एक मोर्चे पर लड़ रहे हैं और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की माँग कर रहे हैं, भारी संख्या में मजदूरों को जुटाकर मजदूर अपनी माँगों पर संघर्ष को तेज भी करेंगे। इसका उद्देश्य मजदूरों के बड़े हिस्सों से संपर्क करना है ताकि उनके बीच के वास्तविक कारणों के बारे में जागरूकता पैदा हो सके, उन्हें सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों से जोड़ा जा सके और मजदूर की लामबन्दी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में हो सके।

इसके अलावा युवाओं और छात्रों के संगठनों के साथ सीटू ने बेरोजगारी, नौकरी की हानि और रोजगार की बिगड़ती गुणवत्ता के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 2 फरवरी को आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन ने राज्य और जिला स्तर की संगोष्ठियों का संचालन करने और उसका समापन राष्ट्रीय राजधानी के प्रदर्शन में, बड़े पैमाने पर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की लामबंदी करने का निर्णय लिया है।

संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन ने पहले से ही लेबर कोडों को समाप्त करने और निजीकरण को रोकने की माँग की है और मजदूर वर्ग को 3 फरवरी 2021 को श्रम संहिता की प्रतियां जलाने का आह्वान किया है। इसने फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में जिला स्तर पर निरंतर विशाल धरने आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मंच ने 3 फरवरी को बिजली के निजीकरण के खिलाफ और किसानों के संघर्ष के समर्थन में देशव्यापी हड़ताल की है। यह एक स्वागत योग्य घटना विकास है कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने हड़ताल का समर्थन किया है और किसानों से प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पुलिस दमन के खिलाफ 3–10 फरवरी 2021 को एआईकेएससीसी के सप्ताह भर के अभियान और 6 फरवरी को 'चक्का जाम' का मजदूर वर्ग समर्थन करेगा।

मेहनतकश जनता के ऐसे स्वतंत्र और संयुक्त संघर्षों को तेज करना और अवहेलना, असहयोग एवं प्रतिरोध के स्तर तक विकसित किया जाना चाहिए। जनता के सामने यह एकमात्र तरीका है जिससे न केवल अपनी आजीविका और कामकाजी परिस्थितियों और राश्ट्रीय हितों को शासक वर्गों के हमलों से जा सकता है बल्कि जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

बेरोजगारी पर राष्ट्रीय कन्वेंशन

cjkstxkjh] ukdfj;ksa ds uqdlku vkSj jkstxkj dh fcxMrh xq.koÙkk ij

सीटू, डीवाईएफआई और एसएफआई का संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन

सीटू, डीवाईएफआई और एसएफआई द्वारा संयुक्त रूप से बेरोजगारी, नौकरियों के नुकसान, रोजगाार की बिगड़ती गुणवत्ता पर राष्ट्रीय कन्वेंशन 2 फरवरी 2021 को बीटीआर भवन, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 15 राज्यों के 297 प्रतिनिधियों (सीटू–105, डीवाईएफआई–103, एसएफआई–89) ने भाग लिया। कन्वेंशन का संचालन तीनों संगठनों के अध्यक्षों सीटू से के. हेमलता, डीवाईएफआई से मोहम्मद रियास और एसएफआई से वीपी सानू ने किया। मसौदा घोषणा तीनों संगठनों के महासचिवों सीटू से तपन सेन, डीवाईएफआई से अभय मुखर्जी और एसएफआई से मयूख बिस्वास, द्वारा रखी गई।

बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने बेरोजगारी से सम्बन्धित तीन मुद्दों पर स्थिति और अनुभव को बयान करने वाली पैनी चर्चा में भाग लिया। सभी वक्ताओं ने एकजुट होकर और निरंतर आधार पर कार्रवाहियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। अध्यक्षमंडल की ओर से हेमलता ने चर्चा का सारांश दिया। बैठक ने सर्वसम्मति से घोषणा को पारित किया।

घोषणा ने तीन कृषि कानूनों और बिजली बिल के खिलाफ किसानों के संघर्ष का; बिजली सहित रेलवे के निजीकरण के खिलाफ और चार श्रम संहिताओं को खत्म करने की माँग करते हुए एकजुट मजदूर संघर्ष और गैर–आयकरदाता परिवारों को भोजन एवं आय–समर्थन; और शिक्षा प्रणाली के निजीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकरण और जनता के सार्वभौमिक शिक्षा के अधिकार को समग्र रूप से खत्म करने के लिए नई शिक्षा नीति के खिलाफ संघर्ष समर्थन किया।

घोषणा ने बेरोजगारी से सम्बन्धित तीनों मुद्दों ने हमारे जनता, युवा और छात्र, रोजगारशुदा और रोजगार की तलाश करने वालों, के जीवन और आजीविका और जीवन पर विनाशकारी प्रभाव को रेखांकित किया।

परिस्थिति: घोषणा में संक्षिप्त अंश में *बेरोजगारी* की स्थिति और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों के वंचित होने; लॉकडाउन के प्रभाव सहित *नौकरियों के नुकसान; रोजगार की बिगड़ती गुणवत्ता; श्रम की आरक्षित सेना के रूप में बेरोजगार;* मौलिक अधिकार के रूप में काम करने का अधिकार; *बेरोजगारी की स्थिति को बढ़ाता नवउदारवाद का संकट* की बात कही गई है

संयुक्त पहलों: घोषणा ने सीटू, डीवाईएफआई और एसएफआई द्वारा नीति शासन के तख्ता पलट के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच जमीनी स्तर पर गहन अभियान शुरु करने के लिए संयुक्त पहलों के बारे में निर्णय लिए और 14 सूत्रीय मांगे और 5 सूत्रीय कार्रवाई कार्यक्रम अपनाये (1) संयुक्त राज्य और जिला स्तर के कन्वेंशन फरवरी 2021 के अंत तक (2) जमीनी स्तर तक सभी राज्यों में माँगों के चार्टर पर व्यापक

संयुक्त/स्वतंत्र अभियान (3) अभियान का उद्देश्य युवाओं, छात्रों, मजदूरों, बेरोजगारों और आम जनता के व्यापक तबकों तक पहुँचना (ए) सर्वेक्षण करना (बी) अभियान सामग्री का वितरण (4) राज्य स्तरीय प्रदर्शन; और (5) यदि संभव हो तो, अखिल भारतीय संयुक्त लामबंदी, (जैसा संयुक्त रूप से तय किया जाएगा)

कन्वेंशन की माँगें

1. अच्छा स्थायी रोजगार पैदा करने वाली नीतियां तैयार करें
2. ठेका, आकस्मिक रोजगार और कल्याण में सरकारी योजनाओं में स्वैच्छिक कार्य के तहत, बाल–श्रम विद्यालयों सहित शिक्षा और अन्य सेवाओं के तहत सभी कर्मचारियों को नियमित करें।
3. एससी/एसटी आदि के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आरक्षण के सभी बैकलॉग सहित विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में सभी रिक्तियों को भरो।
4. रोजगार में आरक्षण के लिए सभी वैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने। निजी क्षेत्र में सभी प्रकार के रोजगार के लिए इन आरक्षणों को बढ़ाओ और लागू करो।
5. उचित वैधानिक उपायों के लागू करने के माध्यम से प्रति सप्ताह 35 घंटे काम चार–शिफ्ट के कार्यदिवस को लागू करें
6. बाल श्रम के प्रसार के मुद्दे को गंभीरता से संबोधित करो; नियमित स्कूलों में उनके नामांकन के लिए विशेष बाल श्रम स्कूलों को मजबूत करना; प्रभावित परिवारों को सरकार की सहायता से पुनर्वासित करना
7. बुनियादी ढाँचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर सार्वजनिक व्यय/निवेश बढ़ाएँ और अच्छे स्थायी रोजगार का सृजन करो
8. सरकार/पीएसयू कर्मचारियों की समयपूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति को वापस लो
9. सरकारी खजाने से निजी कॉरपोरेट निवेश के लिए प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों/रियायतों/सरकारी छूटों को ठोस और स्थायी नौकरी सृजन के साथ सीधे जोड़ जाए।
10. रोजगार के संबंधों को नाजुक व अस्पष्ट बनाने सहित अनिश्चित रोजगार, असुरक्षित रोजगार की सुविधा प्रदान करने वाले सभी कदमों/नीतियों को वापस लें/समाप्त करें
11. एक घर के एक व्यक्ति के बजाय रोजगार चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मनरेगा को बढ़ाया जाए; मनरेगा के तहत कार्यदिवस बढ़ाकर 200 दिन प्रति वर्ष, न्यूनतम मजदूरी रुपये 600/– प्रतिदिन करो; उपयुक्त वैधानिक उपायों के साथ शहरी रोजगार गारंटी योजना तैयार करें
12. वैधानिक उपायों के माध्यम से प्रति माह रुपये 5000/– का बेरोजगारी भत्ता देय हो
13. सार्वजनिक निवेश के माध्यम से प्रवेश स्तर से ही शिक्षा के बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने के साथ–साथ विश्वविद्यालय स्तर तक सभी के लिए उपयुक्त लागू करने योग्य वैधानिक उपायों के साथ मुफ्त अनिवार्य शिक्षा; इसमें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास संस्थान शामिल होने चाहिए।
14. संविधान में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से काम का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया जाए

7—8 जनवरी 2021

मजदूरों का देशव्यापी व्यापक आन्दोलन

dkfoM&19 d cgku] eknh ljdkj dkfoM mijkUr ^U; bfM;k* d okLr viuk uo&lkekU; ,tMk LFkkfir dju d fy, gj idkj dh dkf'k'k dj jgh gA

,tM e ,d e[; fo"k;oLr e Hkfe ,o fdlkuh vkj df"k&mRiknu d fuxehdj.k d ek/;e l dkjikjV leFkd df"k&l/kkj 'kkfey gA lln e foi{k dh vuifLFkfr e vkj er foHkktu d fcuk gh ikfjr rhu Ñf"k dkuu bl vfHk;ku d dæ e gA

nlj uo&lkekU; ,tM dk ,d ie[k fu'kkuk Ñf"k dkuuk d lkFk&lkFk dkjikjV leFkd ycj dkM dk viukuk Hkh gA ycj dkMl u lHkh ektnk Je dkuuk vkj fu;ek dk detkj dj fn;k g(fo'k"k :i l etnjk dh dkedkth ifjfLFkfr;k dk dkjikjVl d i{k e cnydj dke d ?kVk dk Qyko 12 ?kV rd dj fn;k x;k g(nk ekMy LVfUMx vkMl ftue ^fuf'pr vof/k dk jktxkj* vkj ^?kj l dke* 'kkfey g(vf/kdk'k Áfr"Bkuk e dke ij j[ku o fudkyu dh NV(^gMrky* vkj ;fu;uk d xBu ,o dk;k ij ij ifrc/k(lkekftd lj{kk vkfn e dVkrh 'kkfey g

bl Ádkj] mRiknu dju okyh rkdrk d dkjikjVl dh i.k fu;=.k e j[ku dk Á;kl fd;k x;k gA

eknh th d ,tM e rhljk vkbVe futhdj.k dk g] u doy lkotfud {k= d m|ek dk] cfYd ljdkj d foHkkxk dk Hkh] ftle jyo Hkh 'kkfey g] tk Hkkjr e turk dk thoUr&lEid gA

pkFkk Åtk {k= dk futhdj.k g] ftle] ^fctyh* g(tk turk d lHkh rcdk dh ,d vkj thou&j[kk g vkj lHkh çdkj dh lfCklMh dk okil yuk 'kkfey g ftle fdlkuk dk Økl&lfCklMh vkj e¶r fctyh dh 0;oLFkk 'kkfey gA

Qklhokn] ithokn dk fodflr dju d mik; d :i e vkrk g(nljk fo'o ;) nfu;k d ckktkjk dk gfFk;ku d fy, ithoknh lkekT;okn d chp ,d ;) d :i e vk;kA

Hkkjr e] eknh ljdkj dk lkjk vfHk;ku dkjikjVl] viu ithifr fe=k d fy, g] tk d'f"k d vf[ky Hkkjrh; ckktkjk vkj bld mRiknu] LokLF;] f'k{kk] ty vkfn lfgr vk|kfxd mRiknk ,o lokvk dk gfFk;ku dh dkf'k'k e g] dkfoM&19 ,d volj d :i e vk;k gA bl ifØ;k e] Ñf"k vf/kfu;ek d lc/k e l?kokn ij geyk djd lfo/kku dk myVk tk jgk g(lln dk mif{kr cuk fn;k x;k g(U;k;ikfydk lkjxh ctk jgh g(ifyl turk dh vkokt vkj vlrk"k dk ncku d fy, T;knrh djrh g(vkj lkinkf;d rkdr ekt dj jgh gA ;s lHkh Qklhoknh io'fÙk e rth l o'f) d lpd gA dkjikjV&lkEinkf;d xBtkM ^u; Hkkjr* e uo&lkekU; e Qklhokn dh 'k#vkr gA

n'k d fdlkuk u igyk ekpk fnYyh dh lhekvk ij eknh ljdkj }kjk —f"k e Fkki bl uo&lkekU; ekMy d f[kykQ py jgh ,frgkfld yMkb d #i e [kky fn;k vkj n'k Hkj e vknkyu vkj rt dj fn;k gA etnj vkj vU; egurd'k rcd viuh ,dtVrk dkjokfg;k d ek/;e l fdlkuk dk lfØ; lg;kx çnku dj jg gA

yfdu] vc etnj ox d fy, le; vk x;k g fd fdlkuk d lkFk ,dtVrk dkjokfg;k l vkx tkdj vkj eknh ljdkj dh uo&lkekU; uhfr;k d f[kykQ lh/k&lh/k Vdjko djA

nljk ekpk

bl le> d lkFk] lhVw u ekn ljdkj d lkFk lh/k Vdjko d fy, 10 l=h ekxk dk mBku d okLr] nljk ekpk [kkyu d fy, n'k d etnj ox dk vkoku fd;k g] ftle e[; :i l U;wn bfM;k d fy, ekn ljdkj d uo&lkekU; vfHk;ku d pkj {k=k dk mYy[k g & lHkh pkj Je lfgrkvk dk [kRe djk(rhuk —f"k dkuuk dk fujLr djk(fctyh fcy 2020 okil yk(vkj futhdj.k cn djkA

fu/kkfjr dkjokb dk;Øek e 'kkfey g ● 30 fnlcj 2020 dk dk;LFky@Cykd Lrj ij jfy;k vkj çn'ku ● 7@8 tuojh dk fxj¶rkjh lfgr ftyk Lrj d çn'ku vkj 15 tuojh 2021 l çR;d jkT; d Hkhrj {k=h; tRFk 'kkfey gA ftudk lekiu jkT; Lrjh; ykecUnh e gkxkA

30 fnlcj 2020 dk 0;kid Hkkxhnkjh gbA lHkh jkT;k e 7@8 tuojh 2021 dk cM i'ekn ij ftyk Lrjh; dk;Øek d ckj e dN fjikV nh xb gA

केरल

कार्यक्रम का आयोजन पूरे राज्य में किया गया। जिसका उद्घाटन कोल्लम में सीटू के प्रदेश अध्यक्ष अनाथलावट्टोम आनंदन, त्रिवेंद्रम में सचिव वी. शिवकुट्टी, एर्नाकुलम में इसके राष्ट्रीय सचिव चंद्रन पिल्लई और अन्य सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में आयोजित किया गया था।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में 7–8 जनवरी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक कोलकाता में और 16 जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया, जबकि शेष जिलों ने बाद की तारीखों में कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया। मजदूरों के साथ, राज्य भर में बड़ी संख्या में छात्रों, युवाओं और महिलाओं ने भी भाग लिया। 25,000 से अधिक मजदूरों और अन्य ने पुलिस दमन का सामना करते हुए गिरफ्तारियां दी।

कोलकाता, सीटू और अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों, बीएसएनएलईयू और राज्य की 12 जूलाई कमेटी ने निजाम पैलेस में आरएलसी (सी) के लिए बड़े पैमाने पर प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष सुभाश मुखर्जी, इसके महासचिव अनादि साहू, अन्य केंद्रीय यूनियनों और फेडरेशनों के नेताओं ने इकट्ठे हुए मजदूरों को संबोधित किया। सीटू कोलकाता के जिला सचिव देबांजन चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा।

त्रिपुरा

8 जनवरी को अगरतला की सड़कों पर नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला गया, जो श्रम आयुक्त के कार्यालय के सामने पहुँचकर रैली और जन सभा में बदल गया, जिसमें भारत की सभी 15 और राज्य की माँगों को शामिल किया गया, जिसमें राज्य के 10,323 शिक्षकों की बहाली की माँग भी शामिल थी।

मजदूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश वर्गों के सैकड़ों लोगों ने विरोध रैली में भाग लिया। मोहनपुर, जिरानिया और दुक्ली उपखंड के मजदूर और अन्य लोग भी शामिल हुए। एक ज्ञापन सौंपा गया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष माणिक डे मुख्य वक्ता थे। रैली को संबोधित करने वाले अन्य लोगों में एडवा से झरना दास बैद्य, सांसद., एआईकेएस से पी. कार, जीएमपी से जे. चौधरी और सीटू से जया बर्मन शामिल थे।

बेलोनिया, पनीसागर, अमरपुर, सोनमुरा, खोवाई और लॉन्गटोरई घाटी में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। बाकी उपखंडों ने 7 जनवरी को हॉल मीटिंग, रैली आदि के माध्यम से विरोध कार्यक्रम आयोजित किया।

कर्नाटक

सीटू, अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न जन संगठनों सहित सीटू, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, एमडीएम, आँगनवाड़ी, घर आधारित, बीड़ी, हमाली और आद्योगिक मजदूरों के विभिन्न संगठनों ने 22 जिलों में प्रदर्शन और रैलियां कीं। 124 केंद्रों पर 12,504 मजदूरों ने भाग लिया।

तमिलनाडु

यह कार्यक्रम 6 जनवरी को सड़क अवरोधक के रूप में आयोजित किया गया था। तटवर्ती जिलों और चेन्नई में भारी बारिश के बावजूद, 8,000 से अधिक मजदूरों की भागीदारी के साथ 72 स्थानों पर, नीलगिरी और दक्षिण चेन्नई को छोड़कर 36 जिलों में सड़क नाकाबंदी और प्रदर्शन सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। राज्य भर में 4,890 मजदूरों और सीटू पदाधिकारियों ने गिरफ्तारियां दीं।

लगभग 65,000 पर्चे वितरित किए गए और 1,500 पोस्टर चिपकाए गए। सोशल मीडिया अभियान व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से आयोजित किया गया था।

आंध्र प्रदेश

वर्करों और अन्य वर्गों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाने वाली गिरफ्तारी कुरनूल, चित्तूर, विजयनगरम, भीमावरम, मरकापुरम, एलुरु और अन्य जिलों में कलेक्टर कार्यालयों के सामने हुई।

दिल्ली–एनसीआर

अखिल भारतीय आह्वान के जवाब में, डीएम और एसडीएम के समक्ष प्रदर्शन और सार्वजनिक बैठकें हुईं और दक्षिण पश्चिम जिले के द्वारका में सेक्टर 8 में एसडीएम सहित 10 सूत्रीय माँगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए; नांगलोई में उत्तर–पश्चिम के डीएम; अमर कॉलोनी में साउथ दिल्ली के डीएम; अलीपुर में उत्तरी दिल्ली के एसडीएम; पूर्वी दिल्ली के डीएम; उत्तर–पूर्वी दिल्ली के डीएम और नंद नगरी में शाहदरा के डीएम को ज्ञापन सौंपे गये।

एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर के डीएम के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ज्ञापन लेने के लिए एडीएम बैठक स्थल पर आए।

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों के मजदूर, जल बोर्ड के कर्मचारियों, चिकित्सा प्रतिनिधियों, रेहड़ी पटरी वाले और डीवाईएफआई और जेएमएस सदस्यों ने भी बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

उत्तर प्रदेश

बुलंदशहर, लखनऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, कानपुर, गोंडा सहित पूरे राज्य के जिलों में आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियनों सहित सीटू से जुड़ी यूनियनों के मजदूरों ने भाग लिया।

लखनऊ श्रम कार्यालय के सामने प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसे सीटू के राज्य महासचिव प्रेम नाथ राय, यूपीएमएसआरए के महासचिव हेमंत सिंह, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूनियन के अध्यक्ष अरंडी कन्नौजिया और सीटू के अन्य नेताओं ने संबोधित किया। लखनऊ में ए.एल.सी. (सी) को ज्ञापन सौंपा गया।

राजस्थान

जयपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय पर एक प्रभावशाली रैली निकाली गई और प्रदर्शन किया गया और सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र शुक्ला, उपाध्यक्ष सुमित्रा चोपड़ा, सचिव भंवर सिंह शेखावत द्वारा सार्वजनिक सभा को संबोधित किया गया; और इसके जिला अध्यक्ष किशन सिंह राठौड़, शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेखावत और एडवा की सुनीता चौधरी ने भी सम्बोधित किया।

हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू, कोटा, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, रावतभाटा, डूंगरपुर जिलों के जिला मुख्यालयों पर रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

पंजाब

सीटू यूनियनों के मजदूरों ने लुधियाना, अमृतसर, संगरूर, जलंधर, फतेहगढ़ साहिब, तरनतारन, पटियाला, बरनाला, होशियारपुर, नवां सहर, रौपड़, पठानकोट, भटिंड़ा, मुक्तसर साहिब, मोहाली और चंडीगढ़ में रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने राज्य भर में सभी रैलियों और प्रदर्शनों में भारी संख्या में सामूहिक रूप से भाग लिया।

पुलिस ने ज्ञापन सौंपते समय बदायूं में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आंदोलनकारियों के साथ हाथापाई की।

झारखंड

सीटू द्वारा प्रोटेस्ट डे का आयोजन 8 जनवरी को साकची में किया गया और जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूमि डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। सीटू की धनबाद जिला समिति ने सत्याग्रह का आयोजन किया और रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया और डीसी को ज्ञापन सौंपा।

ओडिशा

7 जनवरी को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों द्वारा एडीएम कार्यालय, भुवनेश्वर में प्रोटेस्ट डे का आयोजन किया गया था। राउरकेला में, 500 मजदूरों ने भाग लिया और गिरफ्तारियां दी। पारादीप में लगभग 160 मजदूरों ने एक रैली में भाग लिया और एडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। नयागढ़ में 250 मजदूर, ज्यादातर आषा, निर्माण, एमडीएम वर्कर्स रैली और विरोध में शामिल हुए। कटक में 150 कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय से पहले गिरफ्तारियां दीं।

8 जनवरी को नानई में विरोध प्रदर्शन हुआ और उपजिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन आयोजित किया गया। लगभग 3,000 मजदूरों ने गिरफ्तारियां दीं। जगतसिंहपुर में 400 मजदूरों को कलेक्ट्रेट पर गिरफ्तार किया गया।

भद्रक, खुर्दा, अंगुल, बेरहामपुर और केंद्रपाड़ा में रैलियों, विरोध कार्यक्रमों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन पति, महासचिव बिश्णु मोहंती और राज्य के अन्य नेताओं ने दोनों दिन अलग–अलग स्थानों पर आंदोलन का नेतृत्व किया।

छत्तीसगढ़

धरने और जनसभा करने के बाद, धरने और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया और 9 जिलों में 1181 मजदूरों ने गिरफ्तारियां दी।

उत्तराखंड

देहरादून में सीटू कार्यालय से जुलूस निकाला गया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया।

ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी संयुक्त कार्रवाई का आह्वान

दूसरा मोर्चाः एक महत्वपूर्ण विकास में, सभी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) – इन्टक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, यूटीयूसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी के संयुक्त मंच (आरएसएस से संबद्ध बीएमएस को छोड़कर) और कर्मचारियों के स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनों ने 22 जनवरी को नई दिल्ली में बैठक की और मोदी सरकार के खिलाफ लंबे समय तक अवज्ञा और प्रतिरोध के संघर्ष के लिए दूसरा मोर्चा खोलने के लिए देशव्यापी एकजुट आंदोलन शुरू करने और किसान मोर्चे के संघर्ष के साथ समर्थन और एकजुटता का प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया।

माँगेंः (1) श्रम संहिता और बिजली बिल 2020 को खत्म करना, (2) कोई निजीकरण नहीं, (3) सभी गरीब मजदूर परिवारों को आय समर्थन और भोजन सहायता और (4) संघीय बजट में परिलक्षित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ; आदि चार माँगों को आगे बढ़ाने के लिए।

कार्रवाही कार्यक्रमः एकजुट कार्रवाई में शामिल हैं – (1) **3 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय विरोध दिवस** – कार्य स्थलों, औद्योगिक केंद्रों और क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और लामबंदी करके और श्रम संहिता की प्रतियों को जलाकर मनाया जाएगा; (2) फरवरी के अंत तक भूख हड़ताल (तारीख की घोषणा की जाएगी): राज्य, जिला या औद्योगिक केंद्र स्तर के मजदूरों की सामूहिक भूख हड़ताल उस दिन होगी।

7-8 जनवरी 2021 देशव्यापी विरोध

(रिपोर्ट पृ. 9)

छत्तीसगढ़

दिल्ली–एनसीआर

हिमाचल प्रदेश

उत्तराखंड

तमिलनाडु

7-8 जनवरी 2021 देशव्यापी विरोध

(रिपोर्ट पृ. 9)

आंध्र प्रदेश

गुजरात

झारखंड

कर्नाटक

केरल

7-8 जनवरी 2021 देशव्यापी विरोध

(रिपोर्ट पृ. 9)

ओडिशा

पंजाब

राजस्थान

उत्तर प्रदेश

मुम्बई में विशाल किसान रैली

(रिपोर्ट पृ. 17)

आज़ाद मैदान में, मुम्बई

राजभवन के सामने, मुम्बई

महाराष्ट्र में व्यापक जन कार्रवाईयों ने देशव्यापी किसान संघर्ष को मजबूत किया

अशोक ढ़ावले

राष्ट्रीय अध्यक्ष, एआईकेएस

देश के किसानों के द्वारा तीन घृणित कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी और खरीद की गारंटी के लिए एक कानून के लिए संघर्ष को और मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में, 23 से 26 जनवरी तक, बड़े पैमाने पर बड़े जन कार्रवाई हुई। ये राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कार्रवाइयां ज्यादातर मुख्यधारा के मीडिया द्वारा और, निश्चित रूप से, सोशल मीडिया द्वारा कवर की गई थीं।

संघर्ष का निर्माण

एआईकेएस महाराष्ट्र इकाई के नेतृत्व में कई जिलों से आने वाले 1,000 से अधिक किसान, जिनका 21 से 22 दिसंबर को नासिक से पांच दिवसीय वाहन मार्च करते हुए दिल्ली सीमा पर राजस्थान के शाहजहांपुर में पहुँचे और एक सप्ताह तक वहाँ रहे।

देशव्यापी संघर्ष को तेज करने के लिए महाराष्ट्र में संघर्ष को व्यापक बनाने और मजबूत करने की आवश्यकता थी ताकि सभी राजनीतिक और सामाजिक ताकतों को केंद्र में भाजपा सरकार और उसकी नीतियों की खिलाफत में शामिल किया जा सके। एआईकेएस महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ने 10 जनवरी को नई मुंबई के बेलापुर में अपनी पहली कोविड–उपरांत शारीरिक बैठक में इस रणनीति को तैयार किया।

एआईकेएस की पहल पर, 12 जनवरी को मुंबई में 100 से अधिक जन संगठनों की एक व्यापक बैठक बुलाई गई। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी), ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति (टीयूजेएसी), जन आंदोलन संघर्ष समिति (जेएएसएस), नेशन फॉर फार्मर्स एंड हम भारत के लोग, अधिकांश राज्य स्तरीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आंदोलन को गति देने के लिए गठित संयुक्त मोर्चा का नाम संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा – (एसएसकेएम महाराष्ट्र) – (*संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा*) रखा गया।

कार्रवाई का कार्यक्रम

एसएसकेएम ने 15 जनवरी और फिर 21 जनवरी को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने एक्शन कार्यक्रमों की घोषणा की, जिसमें – 14–15 जनवरी, कृषि कानूनों और श्रम संहिताओं को सार्वजनिक रुप से जलाना; – 18 जनवरी, महिला किसान दिवस; – 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंतीः इस दिन, जिलों से वाहनों में बड़े पैमाने पर किसानों का महापड़ाव के लिए मुंबई आना; – 24–26 जनवरी, आजाद मैदान, मुंबई में महापड़ाव आयोजित करना; – 25 जनवरी, राजभवन के सामने सामूहिक रैली करना; और – 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस; आजाद मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराना शामिल थे।

14–15 जनवरी को, महाराष्ट्र में हजारों की तादाद में कामकाजी जनता ने कृषि कानूनों और श्रम संहिताओं की होली जलाई। 18 जनवरी को पूरे राज्य में व्यापक रूप से महिला किसान दिवस मनाया गया, जिसमें हजारों महिलाएं और पुरुषों ने असंख्य कार्रवाईयों में भाग लिया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा) ने राज्य भर में महिलाओं को लामबंद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य माँगें

इस संघर्ष की मुख्य माँगें है तीनों कृषि कानूनों और चारों श्रम संहिताओं का रद्द करना है; लाभकारी एमएसपी एवं खरीद की गारंटी के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए; बिजली संशोधन विधेयक वापस लिया जाए; केंद्र से किसानों और खेत मजदूरों को नियमित पेंषन दी जाए; और जन–विरोधी नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए।

कुछ माँगें राज्य सरकार से भी संबंधित हैं– महात्मा फुले ऋण माफी योजना लागू की जाए; काश्तकारी के नाम पर वन अधिकार अधिनियम और कब्जायी वन भूमि को लागू किया जाए; काश्तकारी के नाम पर कब्जायी मंदिरों की भूमि, चारागाह

भूमि आदि लागू करो; पिछली भाजपा राज्य सरकार द्वारा लागू भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2018 को निरस्त और पहले के 2014 अधिनियम को पुनःबहाल करो।

14 जनवरी को, एसएसकेएम समिति ने पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीबी प्रमुख शरद पवार; मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे; राज्य के राजस्व मंत्री और कांग्रेस के राज्य प्रमुख बालासाहेब थोरात से मुलाकात की और उनसे महा विकास अघडी की ओर से इस संघर्ष को समर्थन देने का अनुरोध किया। सभी ने संघर्ष को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। शरद पवार और बालासाहेब थोरात आजाद मैदान में राज्य सम्मेलन को संबोधित करने के लिए सहमत हुए। उद्धव ठाकरे सम्मेलन में एक शिवसेना प्रतिनिधि को भेजने पर सहमत हुए।

एसएसकेएम प्रतिनिधिमंडल ने उपरोक्त नेताओं से कृषि संकट और संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए; केंद्र से तीन कृषि कानूनों और चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने की माँग करते हुए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने; और एमएसपी को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम बनाने और अन्य माँगों के लिए राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया।

एआईकेएस का मुंबई तक वाहन मार्च

23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) की महाराष्ट्र इकाई ने नासिक से मुंबई तक 21 जिलों से, 15,000 किसानों का राज्य स्तरीय वाहन मार्च शुरू किया। मार्च शुरू होने से पहले, एक बड़ी सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई जिसे सभी जन संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया। मार्च नासिक के गोल्फ क्लब मैदान से सैकड़ों टैम्पो, पिक–अप और अन्य वाहनों में शुरू हुआ। मार्च वाले लोग इगतपुरी के पास घाटनदेवी में रात को रुके। अगली सुबह 24 जनवरी को, बड़ी संख्या में महिलाओं और युवा किसानों के साथ, 3 घंटे, 9 बजे – दोपहर 12 बजे तक, 8 किलोमीटर लंबे कसार घाट, नासिक और ठाणे के जिलों के साथ पैदल मार्च; और फिर मुंबई के लिए वाहनों द्वारा आगे का मार्च किया।

कसार घाट के पैदल मार्च और वाहन जत्थों का नेतृत्व एआईकेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अशोक ढ़ावले; इसके प्रदेश अध्यक्ष किशन गुर्जर और महासचिव डॉ० अजीत नावले; सुनील मालुसरे, बारक्या मंगत, रतन बुधर, राधका कलंगडा, सावलिराम पवार, सुभाष चौधरी, दादा रायपुरे, अर्जुन आदेय, शंकर सिदाम, उद्धव पॉल, उमेश देशमुख, उदय नारकर और माणिक अवगडे सहित अन्य राज्य पदाधिकारी; सीटू राज्य सचिव और सीपीआई (एम) विधायक विनोद निकोले; एडवा की राष्ट्रीय महासचिव मरियम ढ़ावले और इसकी राज्य महासचिव प्राची हटीवलेकर; खेत मजदूर यूनियन (एआईएडब्ल्ययू) की प्रदेश अध्यक्ष मारोती खंडारे; डीवाईएफआई की राज्य महासचिव प्रीति शेखर; एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष बालाजी कालेतवाड़ और महासचिव रोहिदास जाधव; और कई अन्य एआईकेएस राज्य काउंसिल के नेता कर रहे थे।

रास्ते में, इगतपुरी और शाहपुर तहसीलों की सैकड़ों सीटू यूनियनों के कारखाना मजदूरों ने अपने किसान भाइयों का गर्मजोशी से फूल बरसा कर स्वागत किया। कल्याण–भिवंडी चौराहे पर, पी के लाली, सुनील चव्हाण, परवीन खान और ज्योति तायडे सहित सीपीआई (एम), सीटू और डीवाईएफआई के नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और; अमृत वेला गुरुद्वारा ने भी; मार्च वालों का स्वागत किया और उन्हें हजारों फूड पैकेट प्रदान किए। जत्थों ने मुंबई की सीमा मुलुंड चौक नाका दोपहर में पार किया और विक्रोली के कन्नमवार नगर में सीपीआई (एम), सीटू, डीवाईएफआई और मुंबई के एडवा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसका नेतृत्व सीपीआई (एम) केंद्रीय समिति के सदस्य महेंद्र सिंह और हेमंत सामंत ने किया। इसके बाद यह आजाद मैदान में पहुँचा, जहां सुबह से एसएसकेएम द्वारा आजाद मैदान में आयोजित संयुक्त धरना संघर्ष में इसका जोरदार स्वागत किया गया।

मुंबई में व्यापक संयुक्त जन सम्मेलन

25 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, एसएसकेएम द्वारा लगभग 40,000 किसानों, मजदूरों और अन्य सभी कामकाजी तबकों का एक व्यापक संयुक्त राज्य स्तरीय सम्मेलन मुंबई शहर के केंद्र में प्रसिद्ध आजाद मैदान में आयोजन किया गया था। इसमें हजारों महिलाएं और युवा शामिल थे। यह 24 जनवरी से शुरू हुए महापड़ाव के दूसरे दिन था।

इस अधिवेशन का राजनीतिक महत्व यह था कि महाराष्ट्र में कई वर्षों के बाद यह पहली बार था कि भाजपा के विरोध में सभी राजनीतिक और सामाजिक ताकतें एक मंच पर एक साथ आईं।

मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के राज्य प्रमुख और राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट, एआईकेएस के महासचिव हन्नान मोल्लाह और अध्यक्ष डॉ. अशोक ढ़ावले, पीडब्ल्यूपी के महासचिव जयंत पाटिल एमएलसी, प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ, सांप्रदायिकता विरोधी सेनानी तीस्ता सीतलवाड़, शिवसेना नेता राहुल लोंधे, माकपा के राज्य सचिव नरसैया एडम, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी विधायक, भाकपा के राज्य सचिव तुकाराम भास्मे, आप सचिव धनंजय शिंदे, आरपीआई (कावडे) नेता गणेश उन्हावणे, एडवा की राष्ट्रीय महासचिव मरियम ढ़ावले, एआईकेएस के राज्य महासचिव डॉ. अजीत नवाले, सीटू के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. विवेक मोंटीएरो, एनएपीएम नेता मेधा पाटकर, मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलसे पाटिल, हम भारत के लोग के नेता फिरोज मिथिबोरवाला, एमएफयूसीटीओ के अध्यक्ष तापती मुखोपाध्याय, एनसीपी नेता पूर्व विधायक विद्या चव्हाण, कांग्रेस के मुंबई प्रमुख भाई जगताप विधायक, सर्वहारा जन आन्दोलन नेता उल्का महाजन, काश्तकारी संगठन के नेता ब्रायन लोबो, सत्यशोधक शेतकरी सभा के नेता किशोर धामले और कई अन्य थे। अध्यक्षमंडल में राजू कोर्डे, एस के रेगे, मिलिंद रानाडे और शैलेंद्र कांबले शामिल थे।

शरद पवार ने भाजपा शासन की आलोचना की और तीन कृषि कानूनों की आलोचना की, एक एमएसपी गारंटी कानून पर जोर दिया और चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों को खत्म करने की कोशिश की, तो उल्टा किसान इसे ही खत्म कर देंगे। बालासाहेब थोराट ने भी कृषि कानूनों के मामले में मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य सरकार उनके प्रभाव को समाप्त करने और किसानों की सुरक्षा के लिए विधेयक लाने के बारे में गम्भीरता से सोच रही थी।

हन्नान मोल्लाह ने दिल्ली के चारों ओर दो महीने लंबे ऐतिहासिक किसान संघर्ष का अनुभव बताया और इससे निपटने के दौरान मोदी शासन के सरासर दिवालियापन और पत्थरदिली को उजागर किया। पी. साईनाथ ने इस तथ्य पर जोर दिया कि इन कृषि कानूनों ने न केवल किसानों, बल्कि सभी वर्गों के लोगों पर हमला किया और इस बात को साबित करने के लिए कई उदाहरण दिए। अशोक ढ़ावले ने कृषि कानून और श्रम संहिता के कॉर्पोरेट समर्थक और नव–उदारवादी चरित्र पर हमला किया और मोदी शासन पर देश को बेचने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अब यह हमारी कृषि और हमारी भूमि पर निशाना साध रहा था।

सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार को उसके कॉरपोरेट–समर्थक कृषि कानूनों और श्रम संहिताओं के लिए झाड़ा और अंबानी और अदानी के साथ भाजपा सरकार दोस्ताना पूँजीवादी ताल्लुकात की कड़ी आलोचना की। कई नेताओं ने इनके उत्पादों और सेवाओं के बहिष्कार को तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने लाभकारी एमएसपी और खरीद की गारंटी देने वाले कानून की भी माँग की।

गवर्नर अनुपस्थित, किसानों ने ज्ञापन फाड़ा

यह विशाल रैली कन्वेंशन के बाद, राजभवन को रवाना हुई। राजभवन पहुँचने पर प्रदर्शनकारियों को यह जानकर गुस्सा आ गया कि एसएसकेएम प्रतिनिधिमंडल को पहले समय देने के बावजूद, राज्यपाल कोश्यारी गोवा भाग गए। एसएसकेएम की एक तत्काल बैठक के बाद, डॉ. अशोक ढ़ावले ने राज्यपाल से मिलने के कार्यक्रम को रद्द करने के सर्वसम्मति से लिये गये फैसले की घोषणा की और उनके लिए तैयार ज्ञापन को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया। फिर सार्वजनिक बैठक में कृषि कानून और श्रम संहिता के खिलाफ और एमएसपी कानून के लिए संघर्ष को व्यापक और तेज करने के संकल्प के साथ समापन किया गया।

26 जनवरी की सुबह, नासिक जिले की 73 वर्षीय आदिवासी महिला, यमुनाबाई जाधव, जो दो साल पहले एआईकेएस के नेतृत्व वाले नासिक से मुंबई किसान लोंग मार्च में पूरे 200 किलोमीटर की दूरी खुद पैदल चली थी, द्वारा आजाद मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर, नाना पटोले एसएसकेएम नेताओं के साथ विशेष रूप से ध्वजारोहण समारोह के लिए उपस्थित रहे।

महाराष्ट्र में 23–26 जनवरी की कार्रवाईयों का राज्य और देशभर में भी व्यापक प्रभाव पड़ा।

केन्द्र सरकार के बजट पर सीटू

1 फरवरी को सीटू ने मोदी सरकार के वित्त मंत्री द्वारा केन्द्र सरकार के संसद में पेश किए गए 2021–2022 के बजट पर निम्न वक्तव्य जारी किया।

केंद्रीय बजट 2021–22

विनाशकारी और साथ ही जनता के कष्टों के प्रति क्रूर असंवेदनशील

केंद्रीय बजट 2021–22 ने निरंतर मेहनतकशों के जनसमूह पर भारी संकट और कष्टों की उसी क्रूर उदासीनता की निरंतरता का प्रदर्शन किया है। हालांकि वित्त मंत्री ने जनता की खपत की माँग में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी भलाई के उपायों को बढ़ाने के लिए आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप से खर्च बढ़ाने पर जोर दिया, 2021–22 के लिए कुल प्रस्तावित बजटीय खर्च लगभग 2020–21 में (संशोधित अनुमान)के उसी स्तर पर है, जिसका अर्थ है कि वास्तविक संदर्भ में गिरावट है।

जनता की भलाई और आजीविका के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में मंत्री का भव्य बयान, हमेशा की तरह ही है, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में मनरेगा, आईसीडीएस, मिड डे मील, नौकरियों और कौशल विकास जैसे कल्याण संबंधी व्यय आदि में वास्तविक आवंटन के साथ मेल नहीं खाता है और मनरेगा के बजट आवंटन में 41% की कटौती की, जो कि सरकार ने वास्तव में पिछले वर्ष 2020–21 में खर्च किया था, हालांकि ग्रामीण बेरोजगारी और रोजगार के छिनने में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मिड–डे मील के आवंटन में पिछले साल की तुलना में 1400 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। आईसीडीएस में, पिछले वर्ष के बजट में आवंटन की तुलना में आवंटन में 30% की कमी की गई है। रोजगार और कौशल विकास में, रोजगार सृजन और रोजगार में सुधार पर मंत्री द्वारा लंबी बातचीत में अंतिम उकसावे के बाद भी पिछले आवंटन की तुलना में अभी के आवंटन में 35% की कटौती की गई है। ऐसे कई अन्य उदाहरण भी हैं। वित्त मंत्री ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप सरकार की ''प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कमी लाने'' का भी संकेत दिया है।

बजटीय कवायद का पूरा जोर कॉरपोरेट्स और बड़े कारोबारियों दोनों विदेशी और देशी, के लिए ''व्यापार करने में आसानी'' को बढ़ावा देने पर रहा, कम्पनी अधिनियम के तहत अपने वैधानिक दायित्वों के अनुपालन के बोझ को कम करने के तरीके से, और प्रत्यक्ष कर के मामले में भी कर मूल्यांकन और अदत्त करों की वसूली, विभिन्न मुद्दों पर कई तरह की छूटों के अलावा है।

महामारी की अवधि के दौरान वित्तीय संकट और कम राजस्व सृजन पर विलाप करते हुए, वित्त मंत्री ने इस प्रक्रिया में 10,57 लाख करोड़ रुपये के अदत्त प्रत्यक्ष करों (कॉरपोरेट और आयकर) के भारी संचय को पुनःप्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उनके अंतिम पांच वर्ष का शासन; इसमें से 2.29 लाख करोड़ रुपये का कर बकाया किसी विवाद के तहत नहीं है और अभी तक अप्राप्त है। बेहतर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए उसी पांच साल की अवधि के दौरान कॉरपोरेट कर की दर में भारी गिरावट आई है। निपुणता के साथ कॉरपोरेटों द्वारा कर चोरी को बढ़ावा देना, मोदी सरकार की ''व्यापार करने की आसानी'' की पहचान बन गया है, जो राष्ट्रीय खजाने की प्रायोजित लूट के लिए समान है।

संक्षेप में पूरे बजटीय अभ्यास और उसमें वर्णित कर प्रशासन और शासन के सुधारों में कॉरपोरेट अधिनियम/श्रम–व्यापार आदि के तहत कम्पनी अधिनियम, श्रम कानून आदि के तहत वैधानिक दायित्वों के गैर–प्रसार को बढ़ावा देने वाले उपायों की एक टिप्पणी है सभी ''व्यवसाय करने में आसानी'' के नाम पर है। एमएसएमई के लिए घोषित रियायतें केवल गैर–परिणामी हैं।

बजट में कई लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के थोक निजीकरण कार्यक्रम के अपने कार्यक्रम को दोहराया गया है, जबकि घाटे वाले सभी पीएसयू को बंद करने की घोषणा की गई है, यहाँ तक कि कोर और रणनीतिक महत्व के क्षेत्र जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, भारी विनिर्माण आदि के मामले में पूरा ध्यान जमीन पर संपत्ति सहित परिसंपत्तियों को बेचने पर है। निजीकरण के साथ मौद्रीकरण के अपने कार्यक्रम के तहत इन सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे, बंदरगाहों आदि का निपटान करना है। राष्ट्रीय संपत्ति की बिक्री के मामले में सरकार बहुत जल्दबाजी में दिखाई देती है। चालू वित्त वर्ष में निजीकरण के माध्यम से 1.75 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

यहाँ तक कि रेलवे, शहरी परिवहन, गैस–पाइप लाइनों और बिजली डिस्कॉम क्षेत्र में भी, सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधार पीपीपी रास्ते के माध्यम से वस्तुतः निजीकरण ही है। एलआईसी में आईपीओ के माध्यम से बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% तक बढ़ाना और राष्ट्रीय खजाने से पुर्नपूँजीकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करना विनाशकारी होने के साथ–साथ विध्वंसक प्रस्ताव भी है, जिसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के नियंत्रण को अपने ''न्यूनतम सरकार'' के घोषित कार्यक्रम के तहत निजी हाथों में सौंपना है। महामारी की अवधि के गंभीर अनुभव के बाद भी, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को नहीं बख्शा गया है। बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे को ब्लॉक स्तर तक विस्तारित करने के बारे में बात की गई थी, लेकिन इसका निष्पादन निजी स्वास्थ्य बीमा ऑपरेटरों के माध्यम से पीपीपी रास्ते में होने की उम्मीद है।

आंशिक एवं रद्दी स्टील पर सीमा शुल्क में कटौती से घरेलू इस्पात उद्योग, विशेष रूप से एकीकृत स्टील प्लांट, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले हैं। तथाकथित आत्मनिर्भर परियोजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की सभी बातें, कोरी खोखली घोषणा के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिसका उद्देश्य मूल रूप से देशी–विदेशी कॉरपोरेट क्लास दोनों को बढ़ावा देना है, जो बिना किसी प्रदर्शन और जवाबदेही के राष्ट्रीय खजाने से बाहर हैं। इसी सरकार के शासन के तहत पिछले छह वर्षों से इन्हें भारी रियायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन उत्पादक निवेश या रोजगार सृजन के मामले में इनके द्वारा कुछ भी नही किया गया है। इस बजट के द्वारा भी वही भ्रामक खेल खेला गया है। समग्रता में, सरकार की नीति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी बनी हुई है। इस पृष्ठभूमि में 2021–22 में 11% वृद्धि का प्रक्षेपण बिना कुछ करे धरे ही केवल शोरशराबा करने जैसा प्रतीत होता है।

वित्त मंत्री का बयान, श्रम संहिता का हवाला देते हुए कि वे सभी के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और वैधानिक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगे, पूरी तरह से सच्चाई से कोसों दूर है। ये लेबर कोड सभी श्रम अधिकारों को समाप्त करने जा रहे हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन की माँग भी शामिल है और इसीलिए पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इन लेबर कोड्स को बिल्कुल खारिज कर दिया है और उनके समाप्ति की माँग की है।

कृषि पर, एमएसपी पर वित्त मंत्री के सभी लंबे दावों के बावजूद, तथ्य यह है कि एमएसपी शासन केवल 6% फसल को ही कवर करता है और एमएसपी का भुगतान ज्यादातर उत्पादन लागत को कवर नहीं करता है, यह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के सी2+50% दर के फार्मूले से बहुत नीचे है। और किसानों के निरंतर संघर्ष के कारण वर्तमान क्रूर कृषि कानूनों के क्रियान्वयन के बाद एमएसपी प्रणाली हमारे किसानों के अधिकार के रूप में मौजूद ही नहीं होगी। यही कारण है कि किसान एकजुट होकर कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी के वैधानिक प्रावधान और सभी फसलों की सी2+50% फॉर्मूला पर आधारित खरीद की माँग पर अड़े हुए हैं। इस महत्वपूर्ण पहलू पर बजट गैर–उत्तरदायी रहा।

पूरा बजट जनता के लिए कुछ भी प्रदान नहीं करता है, गंभीर बेरोजगारी की स्थिति को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया, आय और खाद्य सहायता के माध्यम से गंभीर संकट के तहत जनता को कोई प्रत्यक्ष राहत नहीं दी। यह इस बजट के माध्यम से भी उन्हीं जनविरोधी विनाशकारी नीतियों को ही आगे बढ़ाता है जो मेहनतकश जनता द्वारा एकमुश्त निंदा के योग्य है।

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कैनरा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568; आईएफएससी कोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; फोनः (011) 23221306
  फैक्सः (011) 23221284

आर्थिक सर्वेक्षण 2020–2021

बृंदा करात

vkfFkd lo{k.k] ftl i<u l yxrk g ml ekn ljdkj d ,d jktuhfrd cpko d fy, r;kj fd;k x;k g] mu djkMk etnjk vkj lhekr fdlkuk dk dkb Hkjklk ugh nrk tk egkekjh l t> jg g A

सर्वेक्षण में, सरकार द्वारा महामारी से निबटने को दरअसल एक 'दयालुता' के रुप में बताया गया है। करोड़ों प्रवासी मजदूरों के जान पर बन आने के अनुभवों को, जिनमें से सैकड़ों का रोजगार छिन गया था, जो अचानक थोप दिये गये लॉकडाउन लगाने के चलते फंस गये थे, सर्वे में कहीं दर्ज नहीं किया गया है। इससे साफ होता है कि सरकार के दावों और वास्तविकता के बीच की खाई को सर्वेक्षण के द्वारा नहीं पाटा जा सकेगा।

ज़रा अंग्रेजी के वी–अक्षर की आकृति वाली रिकवरी के बारे में उठाये जा रहे शोर को देखिये। वित्तीय वर्ष 2021 में ए (–) 7.7 प्रतिशत के संकुचन के बाद वित्तीय वर्ष 2022 में 11 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान 'आजादी के बाद सर्वाधिक' मान लें कि अनुमान सटीक निकलते हैं तो भी इसका वास्तविक अर्थ होता है दो वित्त वर्शों में कुल मिलाकर 2.45 प्रतिशत की वृद्धि।

असमानताओं में वृद्धि

यही नहीं, बिना यह जाँचे कि वृद्धि का रास्ता क्या है वृद्धि को ही अर्थव्यवस्था की तमाम बिमारियों के लिए रामबाण मान लिया जाता है। सर्वेक्षण कहता है कि 'आर्थिक वृद्धि का असमानता के मुकाबले गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ता है – एक विकासशील देश में पुर्नवितरण तभी संभव है जब आर्थिक कचौड़ी का आधार बढ़ेगा।' यह बिल्कुल अपने हित साधन के लिए दी गई दलील है जिसे मजदूरों व किसानों की सबसे बड़ी लामबंदी ने 'कॉरपोरेट हितैषी' की संज्ञा दी है।

भारत में असमानताओं का असर घिनौना है। आक्सफेम की हालिया रपट के अनुसार 'जनवरी में सबसे धनी 1 प्रतिशत के पास देश की सबसे नीचे की 70 प्रतिशत आबादी यानी 95 करोड़ तीस लाख लोगों के बराबर की दौलत है' जबकि भारतीय अरबपतियों की कुल दौलत एक वर्ष के बजट से अधिक है। कॉरपोरेटों को दिये ऋणों को उदारता से माफ कर देने, उन्हें भारी भरकम सब्सिडी देने तथा कई तरह की छूटों के माध्यम से प्रभावी टैक्स दरों को कम कर देने, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों व ऊर्जा क्षेत्र जिनमें प्रभावी टैक्स दर मात्र 20–21 प्रतिशत है, कि नीतियों के चलते कुछ लोगों के हाथों में इतनी दौलत के होने में कुछ अप्राकृतिक नहीं है।

यह प्रचारित करना कि असमानता पर प्रहार से गरीबी उन्मूलन में मदद नहीं मिलेगी, सुपर अमीरों पर टैक्स न लगाने की आड़ है, जिनके मुनाफे इस महामारी के दौर में भी कई सैक्टरों में बढ़े है। इसके बजाय, सर्वेक्षण यह साफ करता है कि सरकार 'आर्थिक कचौड़ी को बड़ा करने' के नाम पर उन नीतियों को जारी रखेगी जो वास्तव में असफलता व साख गंवा चुके ट्रिकल डाउन यानी सरकार की नीतियों के कारण अमीर और अमीर होता है तों इसमें से रिसकर नीचे तक भी पंहुचने के सिद्धांतो के आधार पर कॉरपोरेट के हितों को आगे बढाती है।

ऊँची बेरोजगारी दर

बेरोजगारी की ऊँची दर, सर्वेक्षण में एकबार पुनः दोहराये गये जनसंख्या लाभांश के शब्दजाल को तार–तार करती है। जैसा कि ज्ञात है, परन्तु सर्वेक्षण में स्वीकार नहीं किया गया है, कि महामारी आने के समय ही भारत मंदी की गिरफ्त में था। इस दौर में सीएमआइई द्वारा, भारी पैमाने पर हुई रोजगार व अजीविका की हानि को बखूबी दर्ज किया गया था। इसकी ताजा रिपोर्ट बताती है कि नवम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 के बीच रोजगार छिन जाने के चलते बेरोजगारों की संख्या में एक करोड़ की वृद्धि हुई है। यह लॉकडाउन से पहले से अधिक है। सीएमआइई के अनुसार, दिसम्बर 2020 में 42.7 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में थे। क्या आर्थिक सर्वेक्षण में की गई वृद्धि प्रक्रिया की भविष्यवाणी से स्वतः ही रोजगार बढ़ जायेगा?

विनिर्माण क्षेत्र के लिए उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि श्रम प्रधान उद्योगों की हालत ठीक नहीं हैं। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन ने सर्वेक्षण की सिफारिशों में कोई ध्यान नहीं दिया है। टेक कम्पनियों, डिजिटल इंडिया और मुख्य रूप से

पूँजी–सघन उद्योगों पर जोर दिया जा रहा है, जो विकास में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन यह सबसे अच्छा नौकरी का कम विकास, नहीं तो नौकरियो के नुकसान का विकास होगा।

क्या नौकरियों की गारंटी के बिना गरीबी उन्मूलन हो सकता है? नौकरियों के अभाव में, क्या सरकार दुनिया भर के कई देशों द्वारा अपनाए गए सामाजिक सुरक्षा ढाँचे के हिस्से के रूप में किसी भी बेरोजगारी भत्ते की गारंटी देगी? सर्वेक्षण द्वारा दिए गए नुस्खे बेरोजगारी के इस केंद्रीय मुद्दे को संबोधित नहीं करते हैं।

कृषि कानूनों की तरफदारी

तीनों कृषि कानूनों की एकमुश्त तरफदारी की जा रही है। हालांकि यह उम्मीद की जा रही थी, सर्वेक्षण ने यह किया है कि किसानों की गतिविधियों द्वारा खाद्य सुरक्षा के संबंध में उठाए जा रही चिंताओं को जोड़ा है। सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है कि खाद्य सब्सिडी कैसे कम की जाए। एमएसपी की मौजूदा नीतियां, खुली खरीद की गारंटी से बढ़ते सरप्लस शेयरों, पीडीएस खाद्यान्न की कमी, निश्चित कीमतों पर आपूर्ति करना अस्थिर है यह सुनिश्चित करने के लिए यह कृषि सुधारों पर सरकार की विभिन्न रिपोर्टों को रेखांकित करता है।

अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्य को बढ़ाने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में खाद्य सुरक्षा प्रस्ताव है। जैसा कि यह है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं।

मूल्य वृद्धि, खरीद में प्रस्तावित कटौती और एमएसपी खत्म करना

पेट्रोल और डीजल पर बढ़े हुए उपकर के माध्यम से सरकारी राजस्व 3.3 लाख करोड़ रुपये है, जो कि 2014–2015 की तुलना 94 प्रतिशत की वृद्धि है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी का व्यापक असर पड़ा है इसे सर्वेक्षण में पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। वर्तमान में, सरकारी गोदामों में 5 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न हैं, जो बफर स्टॉक के मानदंडों से ऊपर है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक में सबसे निचले स्थान वाले देश में, यह प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने और प्रति परिवार न्यूनतम 35 किलोग्राम तक वर्तमान आवंटन बढ़ाने के लिए नैतिक और साथ ही आर्थिक समझ भी बनाता है। खाद्यान्नों की वर्तमान नियंत्रित कीमतें एक किलो चावल के लिए 3 रु और गेहूँ के लिए रु 2 ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करती हैं, जो अपनी आय का आधा हिस्सा खाद्य पदार्थों पर ही खर्च करते हैं।

एक ऐसे देश में, जिसमें दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित लोगों की संख्या होने की संभावना है, कीमतें बढ़ाने की कोई भी योजना गरीब और खाद्य–असुरक्षित परिवारों के जीवन को गंभीर रुप से प्रभावित करेगी।

खाद्य सब्सिडी में कटौती पर जोर का खरीद और एमएसपी के मुद्दे पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, सर्वेक्षण में उद्धृत सभी 'सुधार' रिपोर्टों ने खरीद में कटौती करने और एमएसपी खत्म करने की सिफारिश की है। अब तक सर्वेक्षण के नीतिगत नुस्खे सरकार की सोच को दर्शाते हैं, यह केवल किसानों की आशंकाओं की पुष्टि करता है।

निजीकरण मुहिम

सर्वेक्षण 'रणनीतिक उद्योगों' को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण का तर्क देता है। यह 'व्यापार में आसानी' बढ़ाने की दिषा में सुधार उपायों का दावा करता है। यह विडंबना है कि यह एकमात्र क्षेत्र है जहाँ भारत ने अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार किया है, जबकि भूख, लैंगिक असमानता, लोकतंत्र, प्रेस आजादी से सम्बन्धित सूचकांकों में इसका स्थान काफी निराशाजनक है।

ये कौन से 'रणनीतिक उद्योग हैं?' प्रतिरक्षा से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक, दूरसंचार, बिजली और खनन, बैंक और बीमा, सब कुछ निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। तो रणनीतिक क्या है?

यह दिलचस्प है कि जिस दिन आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था, उसी दिन बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय स्थायी समिति ने 'रणनीतिक उद्योगों' का यह सवाल उठाया था और प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, दवा उद्योगों को 'रणनीतिक' के रूप में शामिल करने की बात की है और 'राष्ट्रीय एयरलाइन' के निजीकरण के बारे में सवाल उठाए।

सर्वेक्षण ने घोषणा की है कि रेलवे के निजीकरण की परियोजना 30,000 करोड़ रुपये के निजी क्षेत्र से अपेक्षित निवेश के साथ आगे बढ़ी है। निजी ट्रेनों को 2023–24 में पेश किए जाने की संभावना है। जल्द ही, भारत में 150 जोड़ी निजी ट्रेनें चलेंगी और निजी संस्थाओं को 'अपने यात्रियों से लिये जाने वाला किराया तय करने की स्वतंत्रता होगी।'

तो करोड़ों भारतीयों के लिए एक आवश्यक जीवनरेखा निजी संस्थाओं को सौंपी जाएगी, जिन्हें किराए तय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। यह ऐसी नीतियां हैं जो असमानता का कारण बनती हैं और गरीबी उन्मूलन को एक धोखा बनाती हैं।

यह पाते हुए कि उनके स्व–लगाए गए राजकोषीय घाटे के मानदंडों को पूरा करने का कोई तरीका नहीं था, राजस्व सृजन के अपने अनुमानों को देखते हुए, सर्वेक्षण ने एक यू–टर्न लिया और कहा है कि 'सर्वेक्षण का प्रयास सरकार को ऋण और राजकोशीय व्यय में वृद्धि मंदी और आर्थिक संकट के दौरान अधिक सुकून देने के लिए बौद्धिक लंगर प्रदान करना है। '

प्रोत्साहन पेकेज

यहाँ संकट का अप्रत्यक्ष प्रवेश है। लेकिन यह याद रखना उपयोगी है कि जब जनता को सहायता की आवश्यकता थी, तो सरकार ने एक मामूली प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया, जो कि जीडीपी के 2 प्रतिशत से भी कम था, और जनता को नकद सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि, अब केंद्र सरकार विभिन्न तरीकों से वित्तीय आवंटन में कटौती करके राज्यों को दंडित कर रही है यदि वे 'अनुमान से अधिक खर्च' करते हैं।

दुनिया भर में, यहां तक कि हमारी सरकार की तरह की नीतियों के लिए प्रतिबद्ध सरकारों ने भी घरेलू माँग को मजबूत करने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए नकद सहायता और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से पैसा खर्च किया है। आर्थिक सुधार के लिए जनता की क्रय शक्ति बढ़ाना महत्वपूर्ण है। लेकिन अपने पहले की स्थिति से हटते हुए भी, सर्वेक्षण यह स्पष्ट करता है कि यह केवल ''निजी निवेश में भीड़ की मदद'' है और किसी भी प्रत्यक्ष तरीके से जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाने में मदद करने के लिए नहीं है।

आर्थिक संकट से निपटने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के नुस्खे भारत की जनात की मदद नहीं करेंगे। सर्वेक्षण के दो–खंडों का प्रत्येक अध्याय कुछ प्रसिद्ध कहावत से शुरू होता है। यह अब्राहम लिंकन की एक कहावत के साथ समाप्त होना चाहिए

किसानों के संघर्ष के साथ मजदूरों की संयुक्त एकजुटता

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और संयुक्त किसान मोर्चा की 22 जनवरी को हुई साझा बैठक में किसानों और उनके संगठनों को उनकी उचित माँगों पर उनके संघर्षों के लिए बधाई दी और विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी।

बैठक में सरकार के मिथ्यारोपण अभियान, जिसमें किसानों को खालिस्तानियों, आतंकवादियों आदि के रूप में दिखाया गया और जिसके लिए कॉरपोरेट नियंत्रित 'गोदी' मीडिया और उसकी ट्रोल सेना का उपयोग किया गया; के बीच में किसानों के संगठनों की दृढ़ एकता और संकल्प की सराहना की गई। उसी के तहत एनआईए, ईडी, आयकर विभाग का उपयोग और आंदोलन एवं निर्दोष किसानों के नेतृत्व को धमकाने–डराने के लिए आपराधिक मामलों को लागू करना शामिल है।

बैठक में जनता के सभी तबकों, विशेष रूप से मजदूरों और ट्रेड यूनियनों द्वारा व्यक्त सक्रिय समर्थन और एकजुटता की सराहना की गई, जो देश भर में एकजुटता की कार्रवाहियों में आगे रहे हैं।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि तीन कृषि कानूनों, चार श्रम संहिताओं, राश्ट्रीय सम्पत्तियों की बिक्री और निजीकरण और कॉरपोरेट द्वारा लूट के खिलाफ मजदूर वर्ग और किसानों की बढ़ती एकता, जो लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में ऐतिहासिक और पूरे देश के हित में है। मजदूरों और किसानों की एकता को और मजबूत करने और उनके संघर्षों को तेज करने का निर्णय लिया गया। भविष्य में एनडीए सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष की संभावनाओं का पता लगाने का भी निर्णय लिया गया।

गिरते सामाजिक संकेतक

त्रिनाथ डोरा

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–5 के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक मंदी और वेतनों में ठहराव ने जनता की गुणवत्ता पोषण तक पहुँचने की क्षमता को प्रभावित किया है।

एनएफएचएस–5 के आँकड़े कोविड–19 संकट से पहले की स्थिति से सम्बन्धित हैं। एक साल बाद संभावना है कि यह और भी खराब हो गये हों। यह एनएसओ (2017–18) के उपभोग व्यय सर्वेक्षण के लीक हुए परिणामों में भी परिलक्षित हुआ था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट ने 107 देशों की सूची में भारत को हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान (88वें) और बांग्लादेश (75वें) से नीचे 94वें स्थान पर रखा। 30वीं वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में भारत 189 देशों में से 131वें स्थान पर है।

पोषण का अभाव, बढ़ती भूख

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (एनएफएचएस–5) के आंकड़े कोविड–19 से ठीक पहले की स्थिति से सम्बन्धित है। एक साल बाद संभावना है कि बाल पोषण खराब स्थिति में हो। स्कूलों और आँगनवाड़ियों में मिड डे मील लॉकडाउन के चलते बंद कर दिया गया। बच्चों के टीकाकरण सहित नियमित स्वास्थ्य सेवाओं को बड़े पैमाने पर व्यवधान का सामना करना पड़ा है जो कि आधिकारिक स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली से स्पष्ट है। वास्तव में, कई घरेलू सर्वेक्षण भारत भर में 2020 के दौरान गम्भीर खाद्य असुरक्षा की ओर इशारा करते हैं। हंगर वॉच के हाल ही के सर्वेक्षण में, दो–तिहाई उत्तर दाताओं ने कहा कि वे लॉकडाउन से पहले के मुकाबले आज कम पौष्टिक भोजन ले पा रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने *'कुपोषण मुक्त भारत'* को प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ 2018 में *पोषण अभियान* या राष्ट्रीय पोषण मिशन का प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि एक उचित मूल्यांकन के लिए अधिक आंकड़ों की आवश्यकता होगी, यह साफ है कि पोषण अभियान, पोषण को सम्बोधित करने में केवल जमीन छूने भर में ही कामयाब रहा है जबकि अधिकांश ढ़ाँचागत मुद्दों को नजरअंदाज किया गया हैं। उदाहरण के लिए, एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), जो कि मुख्य मंच है जिसके माध्यम से पोषण से निपटा जाता है, इसका विस्तार नहीं देखा गया है। इसके अलावा, आईसीडीएस में 30 प्रतिशत से अधिक पर्यवेक्षी पद खाली हैं। आईसीडीएस और अन्य पोषण योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन अपर्याप्त ही हैं।

अक्टूबर 2020 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट ने भारत को 107 देषों की सूची में 94 वें स्थान पर रखते हुए 27.2 का जीएचआई दिया है। इस साल भारत की रैंक पाकिस्तान (88वें) और बांग्लादेष (75वें) से नीचे है। शायद, अधिक चिंता की बात यह है कि जीएचआई गणना ने भूख और कुपोषण पर कोविड–19 के प्रभाव की गणना नहीं की है। यदि भारत की स्थिति पहले से ही 'गंभीर' है, जैसा कि रिपोर्ट के लेखकों ने लिखा है, इसपर विचार किए बिना, जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति गंभीर हो सकती है। बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन का प्रभाव विनाशकारी था। देश की जीडीपी अप्रैल–जून तिमाही में 23.9 प्रतिशत और जुलाई–सितंबर तिमाही में 7.5 प्रतिशत घट गई, जिसमें निचले स्तर के कई प्रभाव हैं, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र का काफी कमजोर होना और संभावित दीर्घकालिक प्रभावों के साथ खाद्य असुरक्षा बढ़ना शामिल हैं।

रोजगार के अवसरों में गिरावट, बढ़ती बेरोजगारी

किसी भी आर्थिक निदान के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय नौकरी है। सभी संकेतक निराशाजनक बेरोजगारी की स्थिति की ओर इशारा करते हैं। दिसंबर 2018 में, सीएमआइई के अनुसार, नौकरीपेशा लोगों की संख्या लगभग 39.7 करोड़ थी। नवंबर 2020 में यह घटकर 39.4 करोड़ रह गयी।

अनुमान है कि हर साल लगभग 12 करोड़ लोग कामकाजी आयु की आबादी में प्रवेश करते हैं। लॉकडाउन से पहले औसत कार्य सहभागिता दर लगभग 42 प्रतिशत थी। इसका मतलब है कि हर साल लगभग 5 करोड़ लोग नौकरी चाहने वालों की कतार में शामिल होते हैं। फिर भी, दो साल में नौकरीपेशा व्यक्तियों की संख्या वही रहती हैं, जैसी कि काम में भागीदारी की दर दिसंबर 2018 में 42.5 प्रतिशत से घटकर नवंबर 2020 में लगभग 40 प्रतिशत हो गई है।

एनएसएसओ की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 15–59 वर्ष की आयु वर्ग में, केवल 67 प्रतिशत ग्रामीण पुरुषों, 21 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं, 71 प्रतिशत शहरी पुरुषों और 19 प्रतिशत शहरी महिलाओं ने लाभकारी कार्यों में भाग लिया।

पिछले 5 वर्षों के दौरान, रोजगार दर 2016–17 में 42.7 प्रतिशत से 2019–20 में गिर कर 39.4 प्रतिशत हो गयी है। आईएलओ–निर्धारित दरों के अनुसार, विश्व औसत रोजगार दर 57 प्रतिशत है और भारत में यह 47 प्रतिशत है जबकि पाकिस्तान में यह 50 प्रतिशत, बांग्लादेश में 57 प्रतिशत और श्रीलंका में 51 प्रतिशत है जो कि सभी भारत से ऊपर ही हैं।

युवा बेरोजगारी 2012 और 2018 के बीच 6 से 18 प्रतिशत तक बढ़ गई है और स्नातक बेरोजगारी लगभग 19 से 36 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान सरकार की नौकरियों की माँग के प्रति दो प्रतिक्रिया है। सबसे पहले, इसने समस्या के अस्तित्व से इनकार किया। इसने अपने स्वयं के आंकड़ों सहित सभी उपलब्ध सबूतों को सक्रिय रूप से नकार दिया कि रोजगार का संकट था। दूसरा, प्रधान मंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने यह कहकर रुख मोड़ दिया कि हमें नौकरी देने वाले बनाने चाहिए, नौकरी चाहने वाले नहीं।

आईएलओ के आंकड़ों के अनुसार, कुल कार्यबल के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की हिस्सेदारी के मामले में भारत सबसे खराब प्रदर्शन वाला देश है। भारत के कुल कार्यबल का केवल 3.8 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 15.8 प्रतिशत, यूके 21.5 प्रतिशत है; जर्मनी 12.9 प्रतिशत, फ्रांस 24.9 प्रतिशत और सिंगापुर 32 प्रतिशत है। चीन में 50 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यबल हैं।

गिरते मानव विकास संकेतक, बढ़ती सामाजिक असमानता

यूएनडीपी की 30वीं वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 189 देशों में से भारत 0.645 के एचडीआई मूल्य के साथ, पहले के स्थान 2019 में 129वें स्थान से गिरकर, अब 131वें स्थान पर है।

रिपोर्ट कहती है कि भारत में सबसे अमीर 1 प्रतिशत के पास 21.3 प्रतिशत और सबसे अमीर 10 प्रतिशत के पास 31.7 प्रतिशत आय है। भारत में सबसे गरीब 40 प्रतिशत की आय केवल 18.8 प्रतिशत है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुष के लिए 68.5 वर्ष और महिला के लिए 71 वर्ष है। लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) से पता चलता है कि भारत में स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष महिला के लिए 5.4 वर्ष और पुरुष के लिए 8.4 वर्ष था। रिपोर्ट कहती है कि 2019 में भारत में असुरक्षित रोजगार की दर 74.3 प्रतिशत थी। असुरक्षित रोजगार का अर्थ है परिवार के अवैतनिक मजदूरों और स्वयं–खाता मजदूरों के रूप में काम कर रहे लोगों का प्रतिशत।

ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में असमानता चौंकाने वाली और व्यापक है। भारत का सबसे अमीर 1 प्रतिशत के पास, कुल आबादी का 70 प्रतिशत अर्थात 95.3 करोड़ लोगों, से चार गुना से अधिक की संपत्ति है। 63 भारतीय अरबपतियों की संयुक्त कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2018–19 के लिए भारत के कुल केंद्रीय बजट, जो कि रु० 24,42,200 करोड़ है, से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, एक वर्ष में एक आईटी कंपनी के उच्च सीईओ के जितना कमाने के लिए एक महिला घरेलू कामगार को 22,277 साल लगेंगे। जितना एक घरेलू कामगार एक साल में कमाएगी, उतना एक टेक सीईओ, 106 रुपये प्रति सेकंड की कमाई वाली आमदनी के साथ, 10 मिनट में बना लेगा।

पूर्वगामी विश्लेशण यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि सामाजिक संकेतकों में प्रारंभिक गिरावट को नवउदारवादी आर्थिक नीति शासन को पूरी तरह से उलटे बिना पकड़ा ही नहीं जा सकता है। इसके अलावा, कामकाजी जनता के बीच खपत शक्ति को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में माँग को पुनर्जीवित करने के इरादे से एक बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च का कार्यक्रम ही एकमात्र तरीका है। भले ही सम्पत्ति असमानता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत में न तो कोई संपत्ति कर है और ना ही कोई विरासत कर। यहाँ तक कि 2 प्रतिशत धन कर और एक तिहाई विरासत कर, जो केवल 1 प्रतिशत आबादी पर लगाया जाता है, जिससे 14.67 लाख करोड़ रुपये या वर्तमान जीडीपी का लगभग 7 प्रतिशत प्राप्त होगा। यह भारत जैसे कल्याणकारी राज्य की संस्थाओं को वित्त देने और गिरते सामाजिक संकेतकों को पकड़ने के लिए पर्याप्त होगा।

(संपादितः त्रिनाथ डोरा पूर्वी मध्य क्षेत्र बीमा कर्मचारी एसोसिएशन के महासचिव हैं)

बिजली कर्मचारियों–इंजीनियरों की अखिल भारतीय हड़ताल

(रिपोर्ट पृ. 4)

तेलंगाना

तमिलनाडु

केरल

पश्चिम बंगाल

उत्तर प्रदेश

ओडिशा

हरियाणा

पंजाब

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/2021-23 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2021-23 (Date of Publication - 05/02/2021)

बेरोजगारी पर राष्ट्रीय कन्वेंशन

(रिपोर्ट पृ. 7)

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citujournals@gmail.com citubtr@gmail.com) सम्पादक : **के हेमलता**